(96)

संख्या-1183/एक-10-2024

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 19 जुलाई, **2024**

विषय- आगामी महाकुम्भ-2025 के अवसर पर तीर्थ यात्रियों/श्रद्धालुओं/स्नानार्थियों की अत्यधिक भीड़ के दृष्टिगत आपदा से बचाव की पूर्व तैयारी/क्षमता निर्माण हेतु विभिन्न प्रशिक्षण गतिविधियों को संचालित किये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि की कैपेसिटी बिल्डिंग मद-10 से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-394/रा0आ0प्र0प्रा0/कुम्भ-25/2024-25, दिनांक 29.06.2024, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आगामी महाकुम्भ-2025 के अवसर पर तीर्थ यात्रियों/श्रद्धालुओं/स्नानार्थियों की अत्यधिक भीड़ के दृष्टिगत आपदा से बचाव की पूर्व तैयारी/क्षमता निर्माण हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार विभिन्न प्रशिक्षण गतिविधियों को संचालित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं केपेसिटी बिल्डिंग मद-10 से उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को धनराशि रू0 92,95,000/- **(बयानबे लाख पन्चानबे हजार रूपये)** आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

विभागः उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण			
क्र0सं0	प्रमुख कार्य	संस्था का नाम	प्रस्तावित बजट
1.	हजार्ड, रिस्क, वलनेरेबिलिटी एवं कैपिसिटी का आंकलन	उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण	23,50,000/-
2.	आपदा मित्रों, सिविल डिफेंस वालेंटियरों को अग्नि सुरक्षा, प्राथमिक सुरक्षा तथा राहत एवं बचाव का प्रशिक्षण प्रदान किया जाना।	उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण	30,50,000/-
3.	एनसीसी एवं एनएसएस के वालेंटियरों को यातायात नियंत्रण, प्राथमिक सुरक्षा तथा राहत एवं बचाव का प्रशिक्षण प्रदान किया जाना।	उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण	30,50,000/-

	जीएसटी एवं अन्य (10 प्रतिशत)	8,45,000/-
	कुल अनुमानित व्यय	**92,95,000/-**

2- अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अप्रेजल समिति की बैठक दिनांक 19-06-2024 में प्राप्त संस्तुति के क्रम में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 05.07.2024 में लिये गये निर्णयानुसार तथा उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आगामी महाकुम्भ-2025 के अवसर पर तीर्थ यात्रियों/श्रद्धालुओं/स्नानार्थियों की अत्यधिक भीड़ के दृष्टिगत आपदा से बचाव की पूर्व तैयारी/क्षमता निर्माण हेतु उक्त प्रस्तर-1 की तालिका पर उल्लिखित विभिन्न प्रशिक्षण गतिविधियों को संचालित किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं केपेसिटी बिल्डिंग मद-10 से धनराशि रू0 92,95,000/- **(बयानबे लाख पन्चानबे हजार रूपये)** की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित विवरण/शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैः-

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबंध-</u>

(1) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि का उपयोग गृह मंत्रालय (आपदा प्रबन्धन प्रभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDMA-1, दिनांक 22.04.2022 द्वारा निर्गत गाइडलाइंस के अनुसार किया जायेगा। उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाईड़लाईन के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।

(2) राज्य आपदा मोचक निधि के क्षमता निर्माण मद से स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वितीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।

(3) जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।

(4) क्षमता निर्माण मद से निर्गत की जा रही धनराशि का उपयोग मानदेय/वेतन/ईधन/मरम्मत/अनुरक्षण में नहीं किया जायेगा एवं धनराशि के ऑडिट का दायित्व उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का होगा।

(5) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2025 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2025 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि के सबध में समय-समय पर गृह मंत्रालय , भारत सरकार एवं एनडीएमए द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइड लाईन निर्गत किये गये है अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समयबद्धरूप से सुनिश्चित की जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **रू0 92,95,000/- (बयानबे लाख पन्चानबे हजार रूपये)** को चालू वितीय वर्ष 2024-2025 के आय-वययक में अनुदान संख्या-051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-06-10 से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से व्यय मानक मद-42 अन्य वयय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024--231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

Signed by
Ram Kewal
Date: 19-07-2024 13:27:07

भवदीय,

(राम केवल)
विशेष सचिव

संख्या:-1183(1)/एक-10-2024, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

3- राहत आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।

4- मेला अधिकारी, कुम्भ मेला, प्रयागराज

5- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।

6- वरिष्ठ, वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।

7- वित्त (वयय नियंत्रण) अनुभाग-5।

8- राजस्व अनुभाग-11/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-23/07/2024

प्रेषण संख्या:- 1183
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1183
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
10 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-6019-up state disaster management authority , lucknow-01-a	वर्तमान	9295000	9295000
		प्रगामी	9295000	9295000
	योग	वर्तमान	9295000	9295000
		प्रगामी	9295000	9295000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया बानवे लाख पंचानवे हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया बानवे लाख पंचानवे हजार

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उत्तर प्रदेश।